पीएलआई योजना बदल रही भारत का विनिर्माण

मार्च 2025 तक 14 क्षेत्रों में 806 आवेदन स्वीकृत, 1.76 लाख करोड़ निवेश

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 146% बढ़ा, भारत बना प्रमुख मोबाइल विनिर्माण केंद्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त. महत्वाकांक्षी उत्पादन- आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत के विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रही है. ?1.97 लाख करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25त्न तक बढ़ाने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जिससे भारत एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है.

मार्च 2025 तक, पीएलआई पहल के तहत 14 रणनीतिक क्षेत्रों में 806 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे रु. 1.76 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है और 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स- यह क्षेत्र पीएलआई योजना की एक प्रमुख सफलता के रूप में उभरा है. इस योजना ने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में शामिल होने में मदद की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में ?2.13 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादन 146त्न बढ़कर रु. 5.25 लाख करोड़ हो गया है. प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित किया है, जिससे देश एक प्रमुख मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन गया है.

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट- इस क्षेत्र में ?67,690 करोड़ का निवेश प्रतिबद्ध किया गया है, जिसमें से मार्च 2024 तक ?14,043 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिससे 28,884 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं. यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है.

फार्मास्युटिकल यह क्षेत्र आयात पर अपनी निर्भरता कम करने में सफल रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,930 करोड़ के व्यापार घाटे से, भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,280 करोड़ के व्यापार अधिशेष पर पहुंच गया है.

सौर ऊर्जा उच्च-दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना 48 तक्च की पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण क्षमता तैयार करेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी.

आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक

पीएलआई योजना केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र-विशिष्ट समूहों (क्लस्टर्स) को बढ़ावा देकर भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल रही है. यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी उत्प्रेरित कर रही है और प्रमुख इकाइयों के आसपास आपूर्तिकर्ता और विक्रेता नेटवर्क बनाकर एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है. फ्रआत्मनिर्भर भारतफ्र और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के साथ संरेखित, पीएलआई योजना भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दे रही है.

रुपया एक सप्ताह में 6.50 पैसे मजबूत हुआ

मुंबई, 24 अगस्त (वार्ता) मजबूत निवेश धारणा और घरेलू शेयर बाजारों में रही तेजी से बीते सप्ताह रुपया 6.50 पैसे मजबूत हुआ और शुक्रवार को अंतिम कारोबारी दिवस पर 87.5250 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह तेजी देखी गयी. इसका असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा. साथ ही मध्यम और दीर्घावधि के लिए निवेशकों की धारणा मजबूत रहने का फायदा भी रुपये को मिला. बढ़त के बावजूद रुपया पिछले कुछ समय से 87 रुपये प्रति डॉलर से मजबूत नहीं हो पा रहा है और अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 87.88 रुपये प्रति डॉलर के करीब बना हुआ है.

स्टारलिंक को मिला यूनिफाइड लाइसेंस

भारत में ही स्थापित होंगे अर्थ स्टेशन गेटवे

भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा विदेश नहीं जाएगा

नई दिल्ली, 24 अगस्त. केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया है कि सरकार ने स्टारलिंक को भारत में अपना संचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है. यह मंजूरी कंपनी द्वारा देश के घरेलू कानूनों और सुरक्षा शर्तों का पालन करने पर सहमति जताने के बाद दी गई है. इन शर्तों में विदेशों में डेटा की कॉपी और डिक्रिप्शन पर रोक तथा भारतीय उपयोगकर्ता के डेटा को किसी विदेशी सर्वर पर नहीं भेजने जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं.

भारत में ही स्थापित होंगे अर्थ स्टेशन गेटवे- मंत्री ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को बताया कि सुरक्षा शर्तों के तहत सैटेलाइट संचार प्रदाताओं को भारत में ही अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करना अनिवार्य है. उपग्रहों से उपयोगकर्ताओं तक होने वाला संचार इन्हीं गेटवे के माध्यम से होगा.

संचार मंत्रालय के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को यूनिफाइड लाइसेंस (रु) तब दिया, जब अमेरिकी कंपनी ने सभी आवश्यक नियमों और सुरक्षा शर्तों का पालन करने पर सहमति जताई, जो सभी सैटेलाइट संचार कंपनियों पर लागू होती हैं.मंत्री ने बताया कि सुरक्षा शर्तों में यह भी शामिल है कि भारत से उत्पन्न या भारत के लिए निर्धारित कोई भी उपयोगकर्ता डेटा विदेश में स्थित किसी भी गेटवे के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. इसके अलावा, भारतीय डेटा को देश के बाहर कॉपी या डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा और भारतीय उपयोगकर्ता के डेटा को विदेशों में स्थित किसी भी सिस्टम या सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से सैटेलाइट-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर सिफारिशें मांगी थीं, जो 9 मई को प्राप्त हो चुकी हैं.मंत्री ने आगे कहा कि सैटेलाइट-आधारित संचार एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इससे देश में रोजगार सृजन होने की भी उम्मीद है, क्योंकि इसमें दूरसंचार नेटवर्क, जिसमें उपयोगकर्ता टर्मिनल उपकरण भी शामिल हैं, की स्थापना, संचालन और रखरखाव शामिल है.

सीआईआई ने विकसित भारत के लिए पेश किया सुधारों का खाका

नयी दिल्ली, 24 अगस्त.उद्योग मंडल सीआईआई ने रविवार को भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का एक खाका पेश किया है. इसमें सरलीकृत जीएसटी संरचना, गैर-रणनीतिक सावजनिक उपक्रमों का निजीकरण, युक्ति संगत शुल्क संरचना, विवादों के शीघ्र समाधान, राष्ट्रीय रोजगार और गिग अर्थव्यवस्था नीतियों पर जोर दिया गया है.

भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपनी रिपोर्ट प्रतिस्पर्धी भारत के लिए नीतियां में 14 महत्वपूर्ण सुधार क्षेत्रों में 250 से अधिक सिफारिशें की हैं. इसमें कहा गया कि उद्योग जगत के प्रमुखों, अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के जरिये विकसित यह खाका सरकार के विकसित भारत के नजरिये के अनुरूप है. सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा, ये सिफारिशें सरकार के सुधारों के साथ निकटता से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री के साहसिक एवं रूपांतरकारी बदलाव के आह्वान का समर्थन करती हैं. एक जीवंत दस्तावेज के रूप में एक प्रतिस्पर्धी भारत के लिए नीतियां लगातार विकसित होती रहेंगी और नीति निर्माताओं के समर्थन में नए विचार लेकर आएंगी. सुधार के क्षेत्रों में राजकोषीय सूझबूझ, मुद्रास्फीति प्रबंधन और आधुनिक सांख्यिकीय प्रणालियां, गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, एक संप्रभु धन कोष का निर्माण आदि शामिल हैं.

पारादीप फॉस्फेट्स दोगुना करेगा नैनो उर्वरक उत्पादन

एक साल में लक्ष्य—सालाना एक करोड़ बोतल, आयात निर्भरता घटाने पर जोर

नई दिल्ली, 24 अगस्त. उर्वरक उद्योग में देश की आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अगले एक साल के भीतर अपने नैनो उर्वरक उत्पादन को दोगुना करने की घोषणा की है. कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुरेश कृष्णन के अनुसार, पीपीएल का लक्ष्य सालाना एक करोड़ बोतल नैनो उर्वरक का उत्पादन करना है.

उत्पादन में लगातार वृद्धि और तकनीक की स्वीकार्यता- भुवनेश्वर स्थित इस कंपनी ने पिछले साल 15 लाख बोतल नैनो उर्वरक बेची थीं और इस साल

यह आंकड़ा 35 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है. कंपनी ने उच्च दक्षता वाले पोषक तत्वों के उत्पादन में सालाना 20-25त्न की वृद्धि का लक्ष्य रखा है.

कृष्णन ने बताया कि नैनो-उर्वरकों, विशेष रूप से नैनो-यूरिया और नैनो-डीएपी को भारतीय कृषि में अच्छी तरह से स्वीकार किया जा रहा है. ये पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक पोषक तत्व उपयोग दक्षता प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि यह तकनीक महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रही है. कृष्णन ने आगे कहा कि कंपनी का पूरा नैनो उत्पाद फिलहाल उत्तर भारत में बन रहा है, लेकिन अब जल्द ही वे दक्षिण भारत में भी प्रवेश करेंगे. उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में कर्नाटक में एक करोड़ अतिरिक्त बोतलों की उत्पादन क्षमता का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

दक्षिण भारत में भी विस्तार की योजना

वर्तमान में, पारादीप फॉस्फेट्स की नैनो-उर्वरक उत्पादन क्षमता प्रति माह चार लाख बोतल है, जो सालाना 50 लाख बोतलों के बराबर है. कंपनी की योजना एक साल के भीतर इसे बढ़ाकर एक करोड़ बोतल करने की है.

चावल महंगा, गेहूं सस्ता, तेल-दाल में उतार-चढ़ाव

चावल 45 रुपये बढ़कर 3,831 रुपये प्रति क्विंटल

गेहूं 13 रुपये सस्ता, आटा भी 3 रुपये टूटा

नयी दिल्ली, 24 अगस्त (वार्ता) घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये जबकि गेहूं में गिरावट रही. चीनी में भी तेजी रही. वहीं, दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया.

घरेलू थोक बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 45 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,831.01 रुपये प्रति क्विंटल पर रही. वहीं, गेहूँ 13 रुपये सस्ता होकर 2,841.88 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका. आटे की कीमत तीन रुपये उतर गयी और यह 3,307.05 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. सरसों तेल की औसत कीमत 15 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी.

बीते सप्ताह दाल-दलहनों में चना दाल, उड़द दाल और मूंग दाल के औसत भाव बढ़ गये. चना दाल औसतन 26 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. उड़द दाल लगभग 28 रुपये और दाल मूंग 19 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई. मसूर दाल 12 रुपये और तुअर दाल 28 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. गुड़-चीनी बाजार में गुड़ के औसत भाव करीब स्थिर रहे.

वैश्विक कारकों से तय होगी बाजार की चाल

मुंबई 24 अगस्त (वार्ता) घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों का रुख घरेलू स्तर पर जारी होने वाले वृहद आर्थिक आंकड़ों के साथ वैश्विक कारकों पर भी निर्भर करेगा. अगले सप्ताह 28 अगस्त को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होने हैं. इसके अलावा 29 अगस्त को दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किये जायेंगे. वहीं 27 अगस्त से अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लागू हो जायेगा. इससे पहले 25 प्रश आयात शुल्क इसी महीने लागू हो चुका है. अब दूसरे 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू होने में काफी कम समय रह गया है.

अजित गुट ने तेज की मनपा चुनाव की तैयारी

मंबई. महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है. इसी बीच, महाराष्ट्र की राजनीति भी तेज हो गई है. अक्टूबर में संभावित मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव की आहट के बीच महायुति और विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-अजित गुट) ने भी चुनावी मोर्चेबंदी तेज कर दी है.

राकां (अजित पवार गुट) की मुंबई चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक बुधवार को मुंबई प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने नेतृत्व किया. उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बैठक में नवाब मलिक ने पार्टी नेताओं और विभिन्न सेल के पदाधिकारियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री ओमप्रकाश पांडा श्रीमती भावना चौहान देव कंस्ट्रक्शन वर्क (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10405888)	प्लॉट संख्या 85, दक्षिण भाग भूमि, वार्ड संख्या 21, सर्वेक्षण संख्या 714/3, अमृत सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457001 का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल- 500.00, 556.00, 420.00	रु. 1431376/- (रु. चौदह लाख इकतीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र)	16/5/2025	19/8/2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश /या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक 25/8/2025 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री भगवान सिंह 2. श्रीमती सावित्री (प्रॉस्पेक्ट नं. 862464)	31-7-2022 रु. 1023504/- (रु. दस लाख तेईस हजार पांच सौ चार मात्र); बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें शामिल हैं- फ्लैट संख्या 517, पाँचवीं मंजिल, निर्मित क्षेत्रफल 404 वर्ग फुट, ब्लॉक जी आयुष्मान रेजीडेंसी, ग्राम पांडा ब्लॉक महू, इंदौर, इंदौर, 453441, मध्य प्रदेश, भारत	28-5-2025 कुल बकाया राशि 21-8-2025 को रु. 1249241.05/- (रु. बारह लाख उन्नचास हजार दो सौ इकतालीस और पैसा पांच मात्र:	रु. 974000/- (रु. नौ लाख चौहत्तर हजार मात्र); बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 97400/- (रु. सन्तानवे हजार चार सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
8-9-2025 11.00-14.00 बजे	10-9-2025 के 5.00 बजे तक	12-9-2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 25-8-2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस:- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071,

ब्रांच आफिस:- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इन्दौर-452010

सरफेसी एक्ट, 2002 की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है. आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका.

क्र.	देनदार/सह-देनदार/ बंधक का नाम	लोन एकाउंट नं. व लोन राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए तिथि व डिमांड नोटिस तिथि	देय राशि रु./ अनुसार में
1.	1) मेसर्स रिषभ ट्रेडर्स प्रतिनिधि इसके मालिक श्रीमान द्वारा रोहित जैन पुत्र विजय जैन, 2) श्रीमती रोहित जैन पुत्र विजय जैन, 3) श्रीमती निधि जैन पत्नी रोहित जैन, 4) श्री दिवेश कुमार जैन पुत्र विजय कुमार जैन	ऋण खाता संख्या- 45528640000152 45520200000267669 ऋण राशि- रु. 32,90,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड संख्या 64 के दक्षिणी भाग वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग फुट (58.08 वर्ग मीटर) है, और उस पर आरसीसी निर्माण भी है. यह भूमि परमहंस नगर, ग्राम छोटा बांगरदा, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- भूखंड संख्या 63, उत्तर में- उसी भूखंड का शेष भाग और दक्षिण में- भूखंड संख्या 42 से घिरा है.	24-07-2025 और 16-08-2025	रु. 25,24,670.84 (रु. पच्चीस लाख चौबीस हजार छह सौ सत्तर और पैसा चौरासी मात्र) 04.08.2025 तक
2.	1) श्री आशुतोष नागर पुत्र राजकुमार (प्रो. मेसर्स शारदा नमकीन), 2) श्रीमती शारदा नागर पत्नी राजकुमार	ऋण खाता संख्या- 30369440000114 30369410000272 ऋण राशि- रु. 12,00,000/-	**अचल संपत्ति-** मकान संख्या 17 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 480 वर्ग फुट (44.6 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण सहित, कुम्हार मोहल्ला, वार्ड संख्या 6, नगर पालिका निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- श्री लक्ष्मीनारायण का मकान, उत्तर में- सड़क और दक्षिण में- श्री डॉ. चास्कर का मकान.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 10,57,371.35 (रु. दस लाख सत्तावन हजार तीन सौ इकहत्तर और पैसा पैंतीस मात्र) 10.08.2025 तक
3.	1) श्री दिलीप राठौड़ पुत्र नागुजी 2) श्रीमती रेखा राठौड़ पत्नी दिलीप	ऋण खाता संख्या- 36419610000192 36419410000468 ऋण राशि- रु. 12,55,000/-	**अचल संपत्ति-** प्लॉट/मकान संख्या 105 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 512 वर्ग फुट (47.58 वर्ग मीटर) है, घर संख्या 17, ग्राम पंचायत करवाखेड़ी, तहसील ताल और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, गाँव करवाखेड़ी में स्थित है. पूर्व में- कालु पुत्र दौला गायरी का मकान, पश्चिम में- जगन्नाथ पुत्र राम जी का प्लॉट, उत्तर में- जगन्नाथ पुत्र राम जी का शेष भाग और दक्षिण में- आम सड़क.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 12,66,256.41 (रुपयए बारह लाख छियासठ हजार दो सौ छप्पन और इकतालीस पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
4.	1) श्री जावेद पटेल पुत्र अंसार पटेल (प्रो. मेसर्स दादाजी दूध भण्डार) 2) श्रीमती मर्जिना बी पत्नी जावेद	ऋण खाता संख्या- 30609440000331 30609410000243 ऋण राशि- रु. 15,00,000/-	**अचल संपत्ति-** प्लॉट/मकान संख्या 69 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1625 वर्ग फुट (151.02 वर्ग मीटर) है, उस पर निर्माण सहित, पंचायत संख्या 31 (सरल संख्या 825), खसरा संख्या 421, ग्राम पुवारदा में, ग्राम पंचायत पुवारदा, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- सोराप पटेल का प्लॉट, पश्चिम में- स्वयं की स्वामित्व वाली भूमि, उत्तर में- आम सड़क और दक्षिण में- यूसुफ भाई की भूमि से घिरा है.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 9,32,386.89 (रुपये नौ लाख बत्तीस हज़ार तीन सौ छियासी और नवासी पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
5.	1) श्री अरुण पारेगी पुत्र अंतरसिंह पारेगी, 2) श्री अंतरसिंह पारेगी पुत्र बापूसिंह, 3) श्रीमती कलाबाई पारेगी पत्नी अंतरसिंह पारेगी	ऋण खाता संख्या- 45578240000193 32769800000040 ऋण राशि- रु. 2,90,324/-	**अचल संपत्ति-** प्लॉट/मकान संख्या 108 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 161 का भाग, ग्राम जेल्याखेड़ी, पीएच संख्या 54, ग्राम पंचायत जेल्याखेड़ी, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील महिदपुर एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- आम सड़क, पश्चिम में- कोमल सिंह का मकान, उत्तर में- शिवलाल बरोड़ का मकान और दक्षिण में- कोमल सिंह का खुला प्लॉट.	29-07-2025 और 21-08-2025	रु. 2,07,377.00 (रु. दो लाख सात हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) 10.08.2025 तक
6.	1) श्री प्रभाकर राव खरात पुत्र लक्ष्मण राव, 2) श्रीमती निशा खरात पत्नी प्रभाकर राव	ऋण खाता संख्या- 30609420001006 ऋण राशि- रु. 11,75,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड/मकान संख्या 06 वाला वह समस्त भूखंड, कुल माप 3810 वर्ग फुट (354.08 वर्ग फुट), निर्माण सहित, चमारपुरा (हरिजन मोहल्ला), रविदास मार्ग, कस्बा/ग्राम सोनकच्छ, पीएच संख्या 56, नगर परिषद सोनकच्छ, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा- पूर्व में- कॉमन रोड, पश्चिम में- मालक सिंह छाबड़ा एवं मुकेश कीर का मकान, उत्तर में- रमेश राव एवं संतोष नागपाल का मकान और दक्षिण में- मालक सिंह छाबड़ा एवं आदि का मकान.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 12,08,225.37 (रु. बारह लाख आठ हजार दो सौ पच्चीस और सैंतीस पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
7.	1) श्री राधेश्याम पंवार पुत्र बालाराम जी पँवार, 2) श्रीमती संतोष बाई पंवार पत्नी राधेश्याम पंवार	ऋण खाता संख्या- 45589440000341 ऋण राशि- रु. 2,20,000/-	**अचल संपत्ति-** प्लॉट संख्या 73 के उत्तरी भाग में स्थित भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट (69.70 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. सर्वेक्षण संख्या 712/63, 65, 66, 67, 68, 69 और 71 का हिस्सा, श्री नगर कॉलोनी में, नगर निगम रतलाम, तहसील और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- अन्य की भूमि, पश्चिम में- सड़क और उत्तर में- प्लॉट संख्या 72 पर निर्मित मकान और दक्षिण में- इस प्लॉट का शेष भाग.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 1,41,486.11 (रु. एक लाख इकतालीस हजार चार सौ छियासी और ग्यारह पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
8.	1) श्री सचिन गुर्जर पुत्र करन सिंह गुर्जर, 2) श्रीमती दीपमाला पत्नी सचिन गुर्जर	ऋण खाता संख्या- 45589630000776 ऋण राशि- रु. 43,00,000/-	**अचल संपत्ति-** सर्वेक्षण संख्या 1411/2 का वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 116.12 वर्ग मीटर है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. यह भूमि, वार्ड संख्या 24 (मोहल्ला दीपिका टॉकीज से उन्हेल रोड), ग्राम पडिल्याकलां, नगर पालिका नागदा, तहसील नागदा एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- आम सड़क, पश्चिम में- तीजा बाई की भूमि, उत्तर में- अन्य का मकान और दक्षिण में रामाश्रय तिवारी का प्लॉट.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 43,23,758.27 (रु. तिरतालीस लाख तेईस हज़ार सात सौ अट्ठावन और सत्ताईस पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
9.	1) श्री सुनील पटेल पुत्र केदार पटेल 2) श्रीमती अलका पटेल पत्नी सुनील पटेल 3) श्री केदार पटेल पुत्र रणछोड़ पटेल	ऋण खाता संख्या- 30789630000121 30789410000150 ऋण राशि- रु. 42,50,000/-	**अचल संपत्ति-** वह संपूर्ण आर.सी.सी. अधिरचना जिसमें वाणिज्यिक फ्लैट सं. 301, (दुकान सं. 1, 2 और 3) का पैकी भाग, तीसरी मंजिल पर स्थित है, जिसका अधिनिर्मित क्षेत्रफल 321.30 वर्ग फुट (29.94 वर्ग मीटर) है, जो 'वीनस टावर' नामक और शैलीबद्ध बहुमंजिला इमारत में स्थित है. यह मकान सं. 82 और 138 जेलरोड पुराना (नया सं. 168), मकान सं. 83 और 139 पुराना (नया सं. 169) पर निर्मित है, जो देवी अहिल्या मार्ग पर नगर निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- लिफ्ट, पश्चिम में- दूसरों की दुकान, उत्तर में- मकान सं. 167 और दक्षिण में- मकान सं. 170 से घिरा है.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 42,09,052.08 (रु. बयालीस लाख नौ हजार बावन और आठ पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
10.	1) श्री सुनील सिंह चौधरी पुत्र धन सिंह चौधरी 2) श्रीमती अनीता बाई चौधरी पत्नी सुनील सिंह चौधरी	ऋण खाता संख्या- 32769630000450 32769410000683 ऋण राशि- रु. 20,80,000/-	**अचल संपत्ति-** सर्वेक्षण संख्या 72 का वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर हुए निर्माण सहित, ग्राम सोनकच्छी, पीएच संख्या 27, ग्राम पंचायत दुदलाई, तहसील सोनकच्छ एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. पूर्व में- गोपाल सिंह का भूखंड, पश्चिम में- कुमेर सिंह की भूमि, उत्तर में- धन सिंह के पुत्र कुमेर सिंह की भूमि और दक्षिण में- आम सड़क से घिरा है.	01-08-2025 और 21-08-2025	रु. 19,38,272.15 (रु. उन्नीस लाख अड़तीस हजार दो सौ बहत्तर और पंद्रह पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
11.	1) श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र बद्रीलाल कुमावत 2) श्रीमती नीमा कुमावत पत्नी सुरेंद्र सिंह	ऋण खाता संख्या- 30609630000687 30609410001055 ऋण राशि- रु. 10,00,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड संख्या 220 (नया 272) का वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (74.34 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. वार्ड संख्या 13 (सरल संख्या 385), ग्राम मेंडकी चक, देवास शहर, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- अशोक ठाकुर, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- मांगीलाल ठाकुर और दक्षिण में- हनुमान मंदिर से घिरा है.	01-08-2025 और 22-08-2025	रु. 10,01,139.72 (रु. दस लाख एक हजार एक सौ उन्तालीस और बहत्तर पैसे मात्र) 10.08.2025 तक
12.	1) श्री बने सिंह पुत्र बृजलाल 2) श्री संतोष पुत्र बृजलाल 3) श्रीमती जानी बाई पत्नी बृजलाल	ऋण खाता संख्या- 33030430000051 ऋण राशि- रु. 3,50,000/-	**अचल संपत्ति-** पी.एच. क्रमांक 63 पर स्थित प्लॉट/मकान का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग फुट (66.91 वर्ग मीटर), निर्माण सहित ग्राम पटवाखेड़ी, तहसील सांवेर और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश)। सीमाएँ- पूर्व में- आम सड़क, पश्चिम में- खलील का मकान, उत्तर में- सेवाराम का मकान और दक्षिण में- रफीक का प्लॉट.	01-08-2025 और 20-08-2025	रु. 2,84,279.87 (रुपये दो लाख चौरासी हजार दो सौ उन्यासी और सतासी पैसे मात्र) 10.08.2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है.

दिनांक - 25.08.2025, स्थान- इन्दौर — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड